



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2010/पौष 17, 1931

No. 15]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2010/PAUSA 17, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 18(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ठ) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (2) और धारा 16 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति, और सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति, अग्रेषित करने की रीति और इसके प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति, और सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति, अग्रेषित करने की रीति और इसके प्रतिधारण की अवधि) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति, और सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति, अग्रेषित करने की रीति और इसके प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (च) में,—

(क) उप-खंड (i) में, "अनुसूची के भाग क के पैरा 1 और भाग ख के अधीन किसी अपराध के संबंध में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) ऐसे अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करने को प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट या किसी न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया कोई परिवाद;"

[अधिसूचना सं. 1/2010/फा. सं. 6/15/2009-ई.एस.]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सं. सा.का.नि. 442(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2010

G.S.R. 18(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 and sub-section (2) of section 16 read with clauses (b) and (l) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Prevention of Money-laundering (the Manner of forwarding a Copy of the Order of Provisional Attachment of Property along with the Material, and Copy of the Reasons along with the Material in respect of Survey, to the Adjudicating Authority and its period of Retention) Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (the Manner of forwarding a Copy of the Order of Provisional Attachment of Property along with the Material, and Copy of the Reasons along with the Material in respect of Survey, to the Adjudicating Authority and its period of Retention) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (the Manner of forwarding a Copy of the Order of Provisional Attachment of Property along with the Material, and Copy of the Reasons along with the Material in respect of Survey, to the Adjudicating Authority and its period of Retention) Rules, 2005, in rule 2, in sub-rule (1), in clause (f), -

(a) in sub-clause (i), the words "in relation to an offence under paragraph 1 of Part A and Part B of the Schedule" shall be omitted;

(b) for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(ii) a complaint filed before a Magistrate or a court by a person authorized to investigate the scheduled offence for taking cognizance of such scheduled offence;"

[Notification No. 1/2010/F. No. 6/15/2009-E.S.]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note:- The principal rules were published vide number G.S.R. 442 (E), dated the 1st July, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 19(अ).— केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की (2003 का 15) धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ड), खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (ब) के साथ पठित धारा 17 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 18 की उपधारा (2), धारा 50 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्ररूपों, तलाशी और अभिग्रहण तथा कारणों और सामग्री अग्रेषित करने की रीति, अभिलेखों को परिबद्ध करने और अभिरक्षा तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्ररूपों, तलाशी और अभिग्रहण तथा कारणों और सामग्री अग्रेषित करने की रीति, अभिलेखों को परिबद्ध करने और अभिरक्षा तथा प्रतिधारण की अवधि) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्ररूपों, तलाशी और अभिग्रहण तथा कारणों और सामग्री अग्रेषित करने की रीति, अभिलेखों को परिबद्ध करने और अभिरक्षा तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 में,-

(क) नियम 2 के उपनियम (1) में,-

(i) खंड (अ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(अ) “अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए सामग्री” से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के पश्चात् नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के कब्जे में सामग्री अभिप्रेत है,

जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई कोई रिपोर्ट या ऐसे अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करने को प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट या किसी न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया कोई परिवाद सम्मिलित है ;”;

(ii) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(ट) “अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए सामग्री” से अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के पश्चात् नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के कब्जे में सामग्री अभिप्रेत है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई कोई रिपोर्ट या ऐसे अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करने को प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट या किसी न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया कोई परिवाद सम्मिलित है ;”;

(ख) नियम 3 में,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(1) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को और प्राधिकृत कर सकेगा तथा ऐसा प्राधिकार प्ररूप 1 में होगा।”;

(ii) उपनियम (2) के खंड (च) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन कोई तलाशी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 157 के अधीन कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित न की गई हो या ऐसे अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करने को प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट या किसी न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद फाइल न किया गया हो ;”;

(ग) प्ररूप 1 में, “निदेशक” शब्द के उन दोनों स्थानों पर, जहाँ वह आता है, “निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक” शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 2/2010/फा. सं. 6/15/2009-ई.एस.]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सा0का0नि0 सं0 445(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2010

G.S.R. 19(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 17, sub-section (2) of section 18, sub-section (5) of section 50 read with clauses (a), (m), (n), (o) and (w) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Prevention of Money-laundering (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Adjudicating Authority, Impounding and Custody of Records and the Period of Retention) Rules, 2005, namely:

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Adjudicating Authority, Impounding and Custody of Records and the Period of Retention) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Adjudicating Authority, Impounding and Custody of Records and the Period of Retention) Rules, 2005, -

(a) in rule 2, in sub-rule (1), -

(i) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:-

74 GI/00-2

“(j) “material for the purpose of sub-section (2) of section 17 of the Act” means the material in possession of the authority, referred to in clause (c) of sub-rule (1) of rule 2, after search and seizure under sub-section (1) of section 17 of the Act, including a report forwarded to a Magistrate under section 157 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or a complaint filed before a Magistrate or a court by a person authorized to investigate the scheduled offence for taking cognizance of such scheduled offence.”;

(ii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-

“(k) “material for the purposes of sub-section (2) of section 18 of the Act” means the material in possession of the authority referred to in clause (d) of sub-rule (1) of rule 2, after search and seizure under sub-section (1) of section 18 of the Act including a report forwarded to a Magistrate under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or a complaint filed before a Magistrate or a court by a person authorized to investigate the scheduled offence for taking cognizance of such scheduled offence.”;

(b) in rule 3, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The Director or any other officer authorised by him may, for the purposes of the sub-section (1) of section 17 of the Act, further authorize any officer subordinate to him and such authorization shall be in the Form 1.”;

(ii) in sub-rule (2), in clause (f), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that no search under sub-section (1) of section 17 of the Act shall be conducted unless a report has been forwarded to a Magistrate under section 157 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or a complaint has been filed before a Magistrate or a court by a person authorized to investigate the scheduled offence for taking cognizance of such scheduled offence.”;

(c) in form 1, for the word “Director” at both places it occurs, the words “Director/Additional Director/Joint Director/Deputy Director” shall be substituted.

[Notification No. 2/2010/F. No. 6/15/2009-E.S.]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 445 (E), dated the 1st July, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 20(अ).— केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की (2003 का 15) धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेश की प्रति तथा सामग्री के अग्रेषण की रीति और प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेश की प्रति तथा सामग्री के अग्रेषण की रीति और प्रतिधारण की अवधि) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेश की प्रति तथा सामग्री के अग्रेषण की रीति और प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(च) “सामग्री” से अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में की कोई सामग्री अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है-

(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई कोई रिपोर्ट या ऐसे अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करने को प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट या किसी न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया कोई परिवाद ;

(ii) दंड-प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई कोई रिपोर्ट या ऐसे अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करने को प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट या किसी न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया कोई परिवाद ।” ।

[अधिसूचना सं. 3/2010/फा. सं. 6/15/2009-ई.एस.]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सा0का0नि0 सं0 447(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2010

G.S.R. 20(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Prevention of Money-laundering (the Manner of Forwarding a Copy of the Order of Retention of Seized Property along with the Material to the Adjudicating Authority and the period of its Retention) Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (the Manner of Forwarding a Copy of the Order of Retention of Seized Property along with the Material to the Adjudicating Authority and the period of its Retention) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (the Manner of Forwarding a Copy of the Order of Retention of Seized Property along with the Material to the Adjudicating Authority and the period of its Retention) Rules, 2005, in rule 2, in sub-rule (1), for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

“(f) “material” means any material in possession of the officer authorized under sub-section (1) of section 20 of the Act including, -